



दिनांक 09.11.2025

प्रेस विज्ञप्ति 14 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 40 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये) व 01 अदद कार स्विफ्ट बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एएनटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्करों 1. सूरज सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम करमाही थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ 2. सत्यम सिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम करमाही थाना कन्धई थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को पकड़ कर, कब्जे से 02 किलो 40 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये), 01 अदद एप्पल आईफोन, 02 अदद एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन व 01 अदद कार स्विफ्ट बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मडियांव, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 650/2025 धारा 8/20/29/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह गांजा उसे एक व्यक्ति ने दिया था जो लखनऊ में रहता है। उस एक व्यक्ति के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी साथ में रह कर तस्करी करता है। यह लोगो पहले भी लगभग 14-15 बार अवैध ऑर्गेनिक गांजा अलग-अलग जगहों पर ग्राहकों को बेंच चुके है। यह ऑर्गेनिक गांजा सामान्य गांजे की अपेक्षा बहुत मंहगा व अति तीव्र किस्म का होता है। तीव्रता अधिक होने के कारण इसकी मांग ग्राहकों में ज्यादा रहती है। जिससे इनलोगों को काफी अधिक लाभ मिल जाता है। यह दोनों इसी स्विफ्ट कार के माध्यम से गांजा की तस्करी का काम करते है। अभियुक्तगणों से पूछताछ में काफी लाभप्रद जानकारीयों प्राप्त हुयी है जिसके सम्बन्ध में फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करते हुए, इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1. सूरज सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ग्राम करमाही थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ (उ०प्र०) ।
2. सत्यम सिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम करमाही थाना कन्धई थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ (उ०प्र०) ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान—

दिनांक: 06.11.2025, स्थान— यादव चौराहा से आगे सर्विस रोड थाना मडियांव, कमिश्नरेट लखनऊ ।

कुल बरामदगीः—

1. 02 किलो 40 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत 02 करोड़ रुपये)
2. 01 अदद कार स्विफ्ट
3. 01 अदद एप्पल आईफोन व 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम ए०एन०टी०एफ० थाना बाराबंकीः—

1. प्र०नि० श्री अयनुद्दीन थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
2. उ०नि० श्री कुलदीप शर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
3. उ०नि० श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
4. हे०का० दीपक कुमार कुमार थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
5. हे०का० कौशल कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
6. हे०का० सुनील राय थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
7. का० अभिषेक सिंह थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।
8. का० कृष्ण कुमार यादव थाना ए.एन.टी.एफ. बाराबंकी ।

सहयोगार्थ टीमः— थाना मडियांव, कमिश्नरेट लखनऊ ।

ए०एन०टी०एफ० थाना/ऑपरेशनल यूनिट गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 170 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये), 02 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद कार स्कोडा काइलेक बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ०प्र० लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट प्रयागराज द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य जिसका नाम अभिषेक यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी टीमकपार थाना भाटपार रानी जनपद

देवरिया हाल मुकाम ईडब्लू एस 50 फेज-4 चारगांवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 170 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये), 02 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद कार स्कोडा काइलेक बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर में मु0अ0सं0- 624/25 धारा 8/20/29/60 NDPS ACT 1985 का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह आर्गेनिक/अमेरिकन गांजा एक व्यक्ति से कम दामों में खरीद कर लाता है और उस गांजा को अधिक रुपये कमाने की लालच में अधिक दामों में पीने वालों को बेच देते हैं । वह भी इस गांजा का सेवन करता है। आज भी वह गांजा बेचने जा रहा था, कि रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण –

1. अभिषेक यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी टीमकपार थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया हाल मुकाम ईडब्लू एस 50 फेज-4 चारगांवा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी का समय व दिनांक–

दिनांक 08.11.25 समय– 02.15 बजे स्थान– नहर रोड दाउदपुर से मेन रोड फोरनेल पर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण–

- 1– 170 ग्राम अवैध ऑर्गेनिक/अमेरिकन (OG/AG) गांजा (जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपये)
- 2– 01 अदद स्कोडा काइलेक कार
- 3– 02 अदद मोबाइल फोन
- 4– 110/– रुपया नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1. उ0नि0 श्री रमेश राम यूनिट प्रभारी ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट गोरखपुर ।
2. हे0का0 शशिकान्त राय ए0एन0टी0एफ0 थाना गोरखपुर ।
3. हे0का0 दिव्यशंकर राय ए0एन0टी0एफ0 थाना गोरखपुर ।

4. हे0का0 उपेन्द्र यादव ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट गोरखपुर ।

5. का रजनीश पाल ए0एन0टी0एफ0 थाना गोरखपुर ।

थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पुलिस टीम का विवरण:

1. उ0नि0 अतुल वर्मा चौकी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

2. का0 विवेक कुमार चौकी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 105 ग्राम अवैध आर्गेनिक/ अमेरिकन गांजा/हाइड्रोपोनिक बीड (OG/AG) (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रु),01 अदद मोबाइल फोन व 2000/- रुपया नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एएनटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे एक सक्रिय तस्कर जिसका नाम प्रवीन पुत्र स्व0 विजय कुमार तिवारी निवासी- दाउदपुर थाना-कैण्ट,जनपद- गोरखपुर उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 105 ग्राम अवैध आर्गेनिक/अमेरिकन गांजा/हाइड्रोपोनिक बीड (OG/AG) जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रु) व 01 अदद मोबाइल फोन व 2000/- रुपया नगद बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना विभूतिखंड ,जनपद- कमिश्नरेट लखनऊ पर मु0अ0सं0 399/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि ये गांजा सस्ते दामों में खरीद कर अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. प्रवीन पुत्र स्व0 विजय कुमार तिवारी निवासी- दाउदपुर थाना-कैण्ट,जनपद- गोरखपुर उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1- 105 ग्राम अवैध आर्गेनिक/अमेरिकन गांजा/हाइड्रोपोनिक बीड (ळ/।ळ) (जिसकी कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रुपए है) ।

2- 01 अदद मोबाइल फोन ।

3- 2000 रूपए नकद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण- ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट
लखनऊ व आपरेशनल टीम बाराबंकी ।

1-निरीक्षक दर्शन यादव (लखनऊ यूनिट)

2- हे0का0 संगम पटेल (लखनऊ यूनिट)

3- उ0नि0 कुलदीप शर्मा (बाराबंकी थाना)

4-उ0नि0 पुरुषोत्तम विश्वकर्मा (बाराबंकी थाना)

5- हे0का0 सुनील राय (बाराबंकी थाना)

6- हे0का0 दीपक कुमार (बाराबंकी थाना)

7-का0 अभिषेक सिंह(बाराबंकी थाना)

सहयोगार्थ टीम थाना विभूतिखंड कमिशनरेट लखनऊ -

1- उ0नि0 श्री ज्ञान प्रकाश सिंह ।

जनपद बांदा/थाना जसपुरा

● पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● नगद रुपये

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 09.11.2025 को थाना जसपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झंझरी रोड़ पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भानू उर्फ भानू प्रताप घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बांदा, हमीरपुर के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जसपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भानू उर्फ भानू प्रताप निवासी बाहुण्डरी थाना जसपुरा जनपद बांदा।

बरामदगी

1—नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी/धोखाधड़ी के पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि बरामद

दिनांक 08.11.2025 को थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लहरतारा रेलवे क्रासिंग के पास से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1—आसिफ 2—मो0जीशान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के पीली-सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0 जिशान के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध जनपद बिजनौर, वाराणसी के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—आसिफ निवासी ग्राम रेहरा थाना हिमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 2—मो०जीशान निवासी ग्राम हरीसिंह का भोगला थाना रायपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

- 1—चोरी/धोखाधड़ी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।
 - 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
 - 3—घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि।
-